



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स / Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 062/2019-20/NAAC-2/02/464
दिनांक : 28.06.2019

कार्यालय आदेश

नैक द्वारा विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के द्वितीय चक्र की आवश्यक तैयारी करने के लिए तथा संबंधित सामग्री ऑनलाइन अपलोड करने एवं मूल्यांकन होने तक की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए निम्नानुसार परिचालन समिति (Steering Committee) का गठन किया जाता है :

1. डॉ. शोभा पालीवाल (समन्वयक, आईक्यूएसी) : संयोजक
2. डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग : सदस्य
3. डॉ. रवि कुमार, सहायक प्रोफेसर, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र : सदस्य
4. डॉ. सन्मति जैन, सहायक प्रोफेसर, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र : सदस्य
5. डॉ. हर्षलता पेटकर, सहायक प्रोफेसर, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र : सदस्य
6. डॉ. मिथिलेश कुमार, म.गां.फ्यू.गु. सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र : सदस्य
7. श्री गिरीश चंद्र पाण्डेय, प्रभारी लीला (तकनीकी कार्य हेतु) : सदस्य

यह आदेश प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(कुलसचिव)

प्रति :

सभी संबंधित (ईमेल द्वारा)

प्रति :

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. वित्त अधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली